

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2019-भाद्र 29, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा नाम स्टेट बॉर कौन्सिल ऑफ मध्यप्रदेश के अधिवक्ता सूची में चंद्रमोहन तिवारी लिखा हुआ है, मुझे अधिवक्ताओं में सी. एम. तिवारी के नाम से जाना जाता है, अतः आज दिनांक से मुझे चंद्रमोहन तिवारी के स्थान पर सी. एम. तिवारी (चंद्रमोहन तिवारी) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं सभी दस्तावेज एवं रिकार्ड में सी. एम. तिवारी (चंद्रमोहन तिवारी) का उल्लेख किया जाये.

पुराना नाम :

(चंद्रमोहन तिवारी)
अधिवक्ता.

नया नाम :

(सी. एम. तिवारी)
(चंद्रमोहन तिवारी)
अधिवक्ता.

(570-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, गंगा राम अम्बेडकर पिता श्री रमावतार अम्बेडकर, निवासी-वार्ड नं. 11 कोतमा कालरी, थाना भालूमाड़ा, तहसील व जिला अनूपपुर का हूँ राज्य अधिवक्ता परिषद का पंजीकृत अधिवक्ता हूँ मेरा सनद क्र. 1174/89 है. जिस पर मेरा नाम गंगा राम मोची अंकित है. जबकि मैं, न्यायालय क्षेत्र में गंगा राम अम्बेडकर नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ तथा अन्य समस्त अभिलेखों जैसे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक व अन्य अभिलेखों में मेरा नाम गंगा राम अम्बेडकर अंकित है. राज्य अधिवक्ता परिषद में अंकित मेरा नाम गंगा राम मोची के कारण मुझे भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसी वजह से मैं, अपने समस्त दस्तावेजों में अंकित नाम गंगा राम अम्बेडकर के अनुरूप ही राज्य अधिवक्ता परिषद में अपना नाम गंगा राम मोची के की बजाय गंगा राम अम्बेडकर अंकित कराना चाहता हूँ जिस हेतु यह प्रकाशन जारी है.

पुराना नाम :

(गंगा राम मोची)

नया नाम :

(गंगा राम अम्बेडकर)

(571-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम पूनम यादव एवं पुनिया बाई दोनों ही थे मेरे पुत्र विनोद कुमार यादव के हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल के रिकॉर्ड में मेरा नाम पूनम यादव पत्नी जमना प्रसाद यादव अंकित है एवं मेरे आधारकार्ड, बैंक रिकॉर्ड व प्राथमिक शिक्षा, शासकीय रिकॉर्ड में मेरा नाम पुनिया बाई पत्नी जमना प्रसाद यादव अंकित है, मैंने अपना नाम पुनिया बाई पत्नी जमना प्रसाद यादव रख लिया है. मेरे पुत्र विनोद कुमार यादव के हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल के रिकॉर्ड एवं मेरे समस्त शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय विभागों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे आज से मुझे मेरे सही नाम पुनिया बाई पत्नी जमना प्रसाद यादव से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(पूनम यादव)

(572-बी.)

नया नाम :

(पुनिया बाई)

पत्नी जमना प्रसाद यादव,
599, अहीर मोहल्ला, शाहजहांबाद,
तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम विनोद कुमार यादव एवं विनोद यादव दोनों ही थे मेरे हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, जाती प्रमाण-पत्र, मूल निवासी में मेरा नाम विनोद कुमार यादव आत्मज जमना प्रसाद यादव अंकित है एवं मेरे पैनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक रिकॉर्ड व स्नातक रिकॉर्ड में मेरा नाम विनोद यादव आत्मज जमना प्रसाद यादव अंकित है, मैंने अपना नाम विनोद यादव रख लिया है. समस्त शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय विभागों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे आज से मुझे मेरे सही नाम विनोद यादव आत्मज जमना प्रसाद यादव से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(विनोद कुमार यादव)

(575-बी.)

नया नाम :

(विनोद यादव)

आत्मज-जमना प्रसाद यादव.

नाम परिवर्तन

मैं, पातीराम माहौर पुत्र श्री चीमाराम माहोर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम पातीराम था जो मेरी बी.एस.एन. एल. विभाग के सर्विस बुक, वेतन पर्ची एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पातीराम अंकित हो गया है. जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम पातीराम माहौर पुत्र श्री चीमाराम माहौर अंकित है एवं वर्तमान में मुझे पातीराम माहौर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम पातीराम माहौर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक, वेतन पर्ची एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा सही नाम पातीराम माहौर अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(पातीराम)

(576-बी.)

नया नाम :

(पातीराम माहौर)

निवासी-माहौर मोहल्ला पुरानी छावनी,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रचना गोण्ड पत्नी श्री सुबंधू गोण्ड (RACHANA GOND W/O SUBANDHU GOND) सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम रचना गोण्ड (RACHANA GAUD) है भूलवश मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग की सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड आदि में मेरा नाम रचना गोड़ अंकित है. वर्तमान में मैं, रचना गोण्ड पत्नी श्री सुबंधू गोण्ड नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम रचना गोण्ड पत्नी श्री सुबंधू गोण्ड के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रचना गोड़ के स्थान पर सही नाम रचना गोण्ड पत्नी श्री सुबंधू गोण्ड (RACHANA GOND W/O SUBANDHU GOND) लिखा एवं पढ़ा जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(रचना गोड़)

(577-बी.)

नया नाम :

(रचना गोण्ड)

विनय नगर दूरसंचार कॉलोनी,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को विदित हो कि, मैं, मोनिका आहूजा पुत्री श्री लखमीचंद आहूजा, निवासी-डी/139, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर के नाम से अपने विवाह दिनांक 21-11-2013 तक जानी, पहचानी जाती थी लेकिन मैं, अपने विवाह दिनांक 21-11-2013 के पश्चात् अब मेरा नाम प्रगति वाधवानी पत्नि श्री विजय वाधवानी, निवासी-भोंसले की गोठ, मूंदड़ा नर्सिंग होम के पास, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश हो गया है और वर्तमान मैं प्रगति वाधवानी पत्नि श्री विजय वाधवानी के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ और भविष्य में भी मुझे प्रगति वाधवानी पत्नि श्री विजय वाधवानी के नाम से ही जाना-पहचाना जावे. अतएव सूचित हो.

बी. के. शर्मा,

(एडवोकेट).

(578-बी.)

सी-6, हरिशंकरपुरम, झॉसी रोड, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा पूर्व में नाम सौभाग्य वर्मा पिता त्रिलोकचन्द वर्मा था व मेरा यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. मैंने अपना उक्त नाम परिवर्तित कर "रवि कसेरा पिता त्रिलोकचन्द" रख लिया है व अब मैं, अपने इसी नाम रवि कसेरा के नाम से भविष्य में जाना पहिचाना व सम्बोधित किया जाता रहूंगा.

पुराना नाम :

(सौभाग्य वर्मा)

(579-बी.)

नया नाम :

(रवि कसेरा)

पिता- त्रिलोकचन्द,

पता- 138-डी, राज नगर,

इन्दौर (म.प्र.).

जाहिर सूचना

यह कि मेरे पक्षकार बाबुलाल मेहता पिता सुजानमल मेहता उम्र- वर्ष, निवासी-6 तिलक मार्ग, भुट्टा बाजार, रतलाम म.प्र. द्वारा प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार यह सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार पूर्व में कुन्दनमल मेहता पिता श्री सुजानमल मेहता के नाम से एवं वर्तमान में बाबुलाल मेहता पिता श्री सुजानमल मेहता के नाम से जाना पहचाना जाता है. दोनों ही नाम मेरे पक्षकार के नाम होकर एक ही व्यक्ति हैं. जिस बावत् आधार कार्ड में मेरे पक्षकार का नाम बाबुलाल मेहता पिता श्री सुजानमल मेहता अंकित है. जिस कारण से यह सूचना प्रकाशित करना आवश्यक हुआ है एवं भविष्य में मेरे पक्षकार को बाबुलाल मेहता पिता श्री सुजानमल मेहता के नाम से पहचाना जावे. सो सूचित हों.

सुधांशु राय सक्सेना,

(एडवोकेट).

(580-बी.)

6, कालिका माता मार्केट, कोर्ट के पास, रतलाम.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम सिराज अहमद (SIRAJ AHMED) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित सिराज अहमद खान (SIRAJ AHMED KHAN) हो गया है. अतः मुझे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(सिराज अहमद)
(SIRAJ AHMED)

(581-बी.)

नया नाम :

(सिराज अहमद खान)
(SIRAJ AHMED KHAN)
निवासी- मकान नं.-3/24, मेनिट केम्पस, हुजूर,
सी.टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम अविनाश कुमार था जो कि मेरी मार्कशीट में दर्ज है परन्तु अब मेरा नाम बदलकर अविनाश सक्सेना हो गया है. अतः भविष्य में मुझे नये नाम अविनाश सक्सेना के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(अविनाश कुमार)
(AVINASH KUMAR)

(582-बी.)

नया नाम :

(अविनाश सक्सेना)
(AVINASH SAXENA)
निवासी-वार्ड नं.-14, एम.आई.जी. 3 शिक्षक कॉलोनी,
नरसिंहगढ़, राजगढ़ (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हेमन्त करम्बेलकर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय सेवा से संबंधित व अन्य पुराने दस्तावेजों में मेरा नाम हेमन्त वसन्त करम्बेलकर उर्फ हेमन्त कुमार बेलकर (सेवा-प्रमाण पत्र में) लिखा हुआ है, जबकि अभी के मेरे सभी दस्तावेजों (आधार कार्ड व पेन कार्ड) में मेरा नाम हेमन्त करम्बेलकर लिखा हुआ है. अतः सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों व मेरे सेवा प्रमाण-पत्रों में मुझे मेरे सही नाम हेमन्त करम्बेलकर से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(हेमन्त वसन्त करम्बेलकर)
उर्फ हेमन्त कुमार बेलकर

नया नाम :

(हेमन्त करम्बेलकर)
पुत्र- वसन्त करम्बेलकर,
168 क्लर्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(583-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप मंगल (PRADEEP MANGAL) मैं पहले प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम से जाना जाता था, अग्रवाल मेरी जाति है, मंगल मेरा गौत्र है. मेरे पेन नं. ABZPM2246E एवं आधार कार्ड में मेरा नाम प्रदीप मंगल है. मैं, इसी नाम से जाना जाता हूँ एवं आगे सभी दस्तावेजों एवं शासकीय एवं अशासकीय कार्यों में मेरा नाम प्रदीप मंगल जानें.

पुराना नाम :

(प्रदीप कुमार अग्रवाल)

नया नाम :

(प्रदीप मंगल)
मोतीबाग मेन रोड सेंधवा,
जिला-बड़वानी (म.प्र.).

(584-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम क्षमा माखीजा (KSHAMA MAKHIJA) पुत्री गिरधारी माखीजा था. विवाह के उपरान्त मेरा नाम श्रीमती वर्षा पमनानी (VARSHA PAMNANI) पत्नी श्री चन्द्रभान पमनानी हो गया है अब मैंने अपना पुराना नाम क्षमा माखीजा (KSHAMA MAKHIJA) कर लिया है. मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेज व आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा नाम क्षमा माखीजा (KSHAMA MAKHIJA) अंकित है. अब भविष्य में मुझे मेरे नाम क्षमा माखीजा (KSHAMA MAKHIJA) से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(वर्षा पमनानी)
(VARSHA PAMNANI)
पुत्री- गिरधारी माखीजा,
(GIRDHARI MAKHIJA)

नया नाम :

(क्षमा माखीजा)
(KSHAMA MAKHIJA)
पत्नी-श्री चन्द्रभान पमनानी
(CHANDRABHAN PAMNANI)
पता-डी-64, विजय नगर, चेतकपुरी के पास,
ग्वालियर (म.प्र.).

(586-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अरूण कुमार साहू ARUN KUMAR SAHU था जो कि अब परिवर्तित होकर अरूण कुमार गुप्ता ARUN KUMAR GUPTA हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अरूण कुमार साहू)
(ARUN KUMAR SAHU)

नया नाम :

(अरूण कुमार गुप्ता)
(ARUN KUMAR GUPTA)
पिता- श्री मुन्नी लाल साहू
निवासी- जी-28, इशा एवेन्यू,
छोटा बागड़दा रोड, इंदौर (म.प्र.).

(587-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, वंदना भलावी पत्नी श्री ज्ञान सिंह ठाकुर, G-8, राज्य वन अनुसंधान केन्द्र परिसर, पोलीपाथर, जबलपुर मध्यप्रदेश में निवासरत हूँ, मेरे विवाह उपरान्त मेरा नाम समस्त दस्तावेजों में वंदना भलावी के स्थान पर वंदना ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा, लिखा जाये.

पुराना नाम :

(वंदना भलावी)

(VANDANA BHALAVI)

(588-बी)

नया नाम :

(वंदना ठाकुर)

(VANDANA THAKUR)

उप-नाम परिवर्तन

यह की मुझे शपथकर्ता ने एक एल.आई.सी. की पॉलिसी नं. 200249224 दिनांक 28-06-2003 भारतीय जीवन बीमा निगम तानसेन शाखा क्र. 3 ग्वालियर से ली थी जिसमें मेरा नाम पिता द्वारा याशा शर्मा लिखा दिया था, जबकि मेरा सही नाम याशा पाराशर है जो कि मेरी सभी आई.डी. दस्तावेजों में मेरा नाम याशा पाराशर अंकित है. याशा पाराशर और याशा शर्मा दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं तथा मेरा पॉलिसी का भुगतान याशा पाराशर के नाम से किया जाये.

पुराना नाम :

(याशा शर्मा)

(591-बी)

नया नाम :

(याशा पाराशर)

पिता- श्री राकेश पाराशर,
आयु 21 वर्ष, निवासी आर्य नगर,
गली नं.1 मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र सिंह पाल पुत्र श्री गुटईराम सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम राजेन्द्र सिंह था जो मेरी बी.एस.एन.एल विभाग के सर्विस बुक, एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह पाल हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह पाल पुत्र श्री गुटईराम अंकित है एवं वर्तमान मैं मुझे राजेन्द्र सिंह पाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम राजेन्द्र सिंह पाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक, एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा सही नाम राजेन्द्र सिंह पाल अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(राजेन्द्र सिंह)

(592-बी.)

नया नाम :

(राजेन्द्र सिंह पाल)

निवासी-सुरैया पुरा मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम विमला शुक्ला पुत्री रामेश्वर शास्त्री शुक्ला दर्ज जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विमला रामेश्वर शास्त्री शुक्ला दर्ज है मेरे घरेलू नाम माला शुक्ला पुत्री रामेश्वर शास्त्री जो कि मेरी रजिस्ट्री में अंकित है उक्त नाम मेरे ही हैं जो कि सत्य व सही हैं. यह कि मैं, विमला शुक्ला पुत्री रामेश्वर शास्त्री शुक्ला एवं विमला रामेश्वर शास्त्री शुक्ला एवं माला शुक्ला पुत्री रामेश्वर शास्त्री के नाम से जानी एवं पहचानी व पुकारी जाती हूँ मैं भविष्य में विमला रामेश्वर शास्त्री शुक्ला पुत्री रामेश्वर शास्त्री के नाम से जानी पहचानी व पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(माला शुक्ला)

पुत्री- रामेश्वर शास्त्री.

(595-बी.)

नया नाम :

(विमला रामेश्वर शास्त्री शुक्ला)

पुत्री- रामेश्वर शास्त्री.
निवासी- लाला का बाजार, लशकर, ग्वालियर.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Farookh Noorani have changed my name to Mohammed Tosif Noorani S/o Mohammed Asif Noorani and now I would be known as Mohammed Tosif Noorani S/o Mohammed Asif Noorani.

Old Name :

(MOHAMMED FAROOKH NOORANI)

(597-बी.)

New Name :

(MOHAMMED TOSIF NOORANI)

ADD: 15, Tanzim Nagar, Khajrana,
Indore (M.P.)

CHANGE OF NAME

I, Taha Dairkee have changed my name to Riyaz Hussain Dairkee S/o Shamshir Ali Dairkee and now I would be known as Riyaz Hussain Dairkee S/o Shamshir Ali Dairkee.

Old Name :
(TAHA DAIRKEE)
(598-बी.)

New Name :
(RIYAZ HUSSAIN DAIRKEE)
Add: 440, Hudco Colony,
Neemuch (M.P.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम सैय्यद फरजान अली (SYED FARZAN ALI) आत्मज सैय्यद परवेज अली (SYED PARVEZ ALI) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित फरजान अली (FARZAN ALI) आत्मज परवेज अली (PARVEZ ALI) हो गया है. अतः भविष्य में सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम फरजान अली (FARZAN ALI) आत्मज परवेज अली (PARVEZ ALI) से ही जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :
(सैय्यद फरजान अली)
(SYED FARZAN ALI)
आत्मज सैय्यद परवेज अली
(SYED PARVEZ ALI)
(599-बी.)

नया नाम :
(फरजान अली)
(FARZAN ALI)
आत्मज-परवेज अली,
(PARVEZ ALI)
मकान नम्बर-64, अशोक नगर,
पुल बोगदा, भोपाल (म.प्र.)

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार के श्रीमति रेखा भवालकर पति श्री मनोहर भवालकर, 147, प्रिकांको कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश, (2) श्री नवीन गर्ग पिता श्री शंकरलाल गर्ग, निवासी- 314, क्लर्क कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश दोनों ही मेसर्स आर. के. वाटर्स फर्म के पार्टनर थे तथा दोनों के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म का विघटन कर लिया गया है तथा आमजन को उक्त सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, वारिस, निकाय मेसर्स आर. के. वाटर्स भागीदारी फर्म के नाम से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार किसी भी व्यक्ति या संस्था से न करें, सो सूचित होवे.

मैसर्स राजेंद्र गर्ग एंड कंपनी,
राजेंद्र गर्ग,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(भागीदार)
पता-60, साकेत नगर, कुमवत धर्मशाला के पास,
इन्दौर (म.प्र.)
(585-बी.)

आम सूचना

मेरे व्यवहारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स "सी. पी. गुडस" संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांक 03-07-2013 के अनुसार श्री नवीन शिवहरे, श्री प्रवीण शिवहरे पुत्रगण श्री चिरोंजी लाल शिवहरे, निवासी-एम 40, गांधी नगर, ग्वालियर एवं कु. श्रेया रैली पुत्री श्री गौतम राय रैली, निवासी- सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर तथा श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री बद्री प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी- हरीशंकर पुरम्, ग्वालियर मध्यप्रदेश साझेदार थे और साझेदारी व्यवसाय करते थे. अब संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांक 07-08-2019 के अनुसार श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री बद्री प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी- हरीशंकर पुरम् ग्वालियर, उपरोक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं. जिसमें बाकी बचे तीनों साझेदारों को कोई आपत्ति नहीं है और इस तरह उपरोक्त संशोधित साझेदारी बिलेख 07-08-2019 से प्रभावी हो गई है. सर्व-साधारण के सूचनार्थ यह सूचना-पत्र प्रकाशित की जा रही है.

प्रेषक:
अनिल भल्ला,
(सी.ए.),
एफ-7, द्वितीय तल, साई अपार्टमेंट,
जयेन्द्रगंज, ग्वालियर (म.प्र.)
(589-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर, एस-9, राज प्लाजा काम्प्लेक्स, नियर कैलाश टॉकीज, लश्कर ग्वालियर मध्यप्रदेश में स्थित है दिनांक 11-04-2018 को भागीदार श्री सतीश चंद जैन पिता स्व. ज्ञान चंद जैन, निवासी-102, सुभद्रा फालके अपार्टमेन्ट, उषा कॉलोनी, ग्वालियर की मृत्यु होने से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 11-04-2018 से श्री आदित्य चंद जैन पिता स्व. श्री सतीश चंद जैन, निवासी-102, सुभद्रा फालके अपार्टमेन्ट, उषा कॉलोनी, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

(590-बी.)

मैसर्स महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर,
योगेश खन्डैलवाल,
पता-एस-9, राज प्लाजा काम्प्लेक्स,
नियर कैलाश टाकीज, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Know All Men That The Shri Ajay Charnagar S/o Shri Raju Charnagar R/o Chhoti Bazar, Near Ram Mandir, Chhindwara (M.P.) Have Been Retired Form The Registered Firm M/s Shree Laxmi Stone Crusher, Ward No. 05, Gram Bhajiya, Amarwara Dist- Chhindwara (reg. No. 01/17/08/0249/16 Year 2015-16 Dated 04-02-2016) w.e.f. 01-06-2019 And Pawan Mahore S/o Shri Premlal Mahore R/o Near Kali Mandir, Pataleshwar Ward Chhindwara M.P. Has Been Entered In Firm w.e.f. 01-06-2019 The Profit Sharing Ratio Has Also Been Change w.e.f. 01-06-2019 The Firm Has Now Three Partners As Pawan Mahore, Tarun Rai And Rajat Gharu With PSR As 48%, 19% And 33% Respectively.

(593-B.)

M/s Shri Laxmi Stone Crusher,
PAWAN MAHORE,
(Partner).
Ward No. 05, Gram Bhajiya Amarwara,
Chindwara (M.P.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म Awwal Agro Products, पता-10, ओल्ड एम.एल.ए. कॉलेज, हाथीखाना चौराहा, बुधवारा रोड, भोपाल (462001) मध्यप्रदेश में स्थित है, जिसका फर्म पंजीयन क्र. 01/01/01/0112/16, सन् 2016-17, दिनांक 13 जुलाई, 2016 में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल संभाग मध्यप्रदेश में पंजीकृत है, उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 24-08-2019 को भागीदार श्री साबिर हसन पिता श्री शोकत हसन आयु व्यस्क, निवासी-10, ओल्ड एम.एल.ए. कॉलेज, हाथीखाना चौराहा, बुधवारा रोड, भोपाल मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 24-08-2019 को श्री मो. शारिक सिद्दीकी पिता श्री मोहम्मद शाकिर सिद्दीकी आयु व्यस्क, निवासी- एच-51, वर्धमान ग्रीन पार्क कॉलोनी, 80 फीट मार्ग के पास, न्यू अशोका गार्डन, भोपाल मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

(594-बी.)

संतोष बैरागी,
(एडवोकेट)
पता-147, थर्ड प्लोर, सुरेशन पैलेस होटल के पास,
जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/S SHRI GIRRAJ JI STONE CRUSHER, SHIVPURI M.P. 11, OPP VEER SAWARKAR PARK, MAHAL COLONY, SHIVPURI M.P. 473551, पंजीयन क्रमांक 02/41/01/0108/17, दिनांक 25-07-2017 में से दिनांक 12-01-2018 को ASHAY GUPTAKARTAO FASHYAGUPTA HUF, RAJESHWARI TEMPLE, SHANKAR COLONY, SHIVPURI MP. सेवानिवृत्त हो गये एवं ASHAY GUPTA S/O SHRI MOHAN DAS GUPTA, RAJESHWARI TEMPLE, SHANKAR COLONY, SHIVPURI M.P.

फर्म में नियुक्त हुये तथा दिनांक 01-12-2018 को PAWAN DHAKAD S/O SHRI FERAN SINGH DHAKAD, VILL. MOHRA THE. KOLARAS SHIVPURI MP. सेवानिवृत्त हो गये. एवं 1. MANISH SHIVHARE S/O SHRI RAMESH CHAND SHIVHARE, KAMLAGANJ, GHOSHIPURA, MAMA PANWALE KI GALI, SHIVPURI M.P, 2. MOHIT AGARWAL S/O SHRI PURSHOTTAM DAS AGARWAL, KHARA KUA, CUSTOM GATEI, SHIVPURI M.P., 3. ANKIT BHASIN S/O SHRI SURAJ BHASIN, MIG 84, INDRANAGAR, NEAR K.P. SINGH KI KOTHI, SHIVPURI MP. फर्म में नियुक्त हुये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

M/s Shri Girraj ji Stone Crusher,
Ashay Gupta,
(Partner)
Add-Opp Veer Sawarkar Park,
Mahal Colony, Shivpuri (M.P.).

(596-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.0/बी-113/2019-20.—जैसा कि “ महामृत्युन्जय ट्रस्ट ” द्वारा श्री अरूणोदय दीक्षित आ. श्री पवन कुमार, निवासी-एफ 108/49, शिवाजी नगर, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 04-10-2019 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “ एक माह ” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	“ महामृत्युन्जय ट्रस्ट ” द्वारा श्री अरूणोदय दीक्षित आ. श्री पवन कुमार दीक्षित, निवासी- एफ-108/49, शिवाजी नगर, भोपाल.
चल सम्पत्ति	:	5000/- रूपये मात्र.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 04-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

राजकुमार खत्री,
रजिस्ट्रार.

(602)

कार्यालय पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्र.क्र.04/बी-113(1)/2016-17.

टीकमगढ़, दिनांक 22 अगस्त, 2019

प्रपत्र-4

[नियम 5(1) देखिए]

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5(1) के अंतर्गत]

श्री 1008 दिगम्बर जैन मंदिर, इन्द्रपुरी कॉलोनी, टीकमगढ़ द्वारा आवेदक अजित कुमार जैन अध्यक्ष एवं अन्य टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) द्वारा आवेदन में वर्णित न्यास/ न्यासीगण एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया एवं

श्री 1008 दिगम्बर जैन मंदिर, इन्द्रपुरी कॉलोनी, टीकमगढ़ द्वारा आवेदक द्वितीय आवेदन-पत्र श्री प्रवीण कुमार जैन अध्यक्ष एवं अन्य टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) द्वारा आवेदन में वर्णित न्यास/न्यासीगण एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया।

दोनों आवेदन पत्रों को एक साथ संलग्न कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आवेदन-पत्र अनुसार न्यास की सम्पत्ती परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 संलग्न है।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को उक्त दोनों आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ती के संबंध में हित रखता है और कोई आपत्ती (या सुझाव) प्रस्तुत करना चाहता है, तो इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखितरूप स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 23 सितम्बर, 2019 मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज जारी।

परिशिष्ट-1

(लोक न्यास और सम्पत्ती का विवरण)

लोक न्यास का नाम:- “ श्री 1008 दिगम्बर जैन मंदिर इन्द्रपुरी कालोनी टीकमगढ़ ”

अचल सम्पत्ति:-

1. प्लॉट-1260 वर्गफुट खसरा नम्बर 260 रकवा 0.011 आरे स्थित टीकमगढ़ किला जिस पर भवन निर्मित हैं।
2. प्लॉट-1506 वर्गफुट खसरा नम्बर 773/मिन-17 रकवा 0.010 आरे खसरा नम्बर 774/ मिन-5 रकवा 0.004 आरे।
3. दान से प्राप्त प्लॉट 100 वर्गफुट खसरा नम्बर 774.

परिशिष्ट-2

क्र.	चल सम्पत्ती	संख्या	अनुमानित कीमत
1.	चौदी के छत्र	09 नग	19000/- रुपया
2.	मूर्ती पाषाण संगमरमर	03 नग	4,75,000/- रुपया
3.	मूर्ती धातू	04 नग	1,05,000/- रुपया
4.	अलमारी लोहे की	02 नग	8,000/- रुपया
5.	पूज्य बर्तन		2500/- रुपया
6.	लकड़ी टेबिल	02 नग	4000/- रुपया
7.	स्टील बेंच	07 नग	21000/- रुपया
			योग 6,34,500/-

पी.एन.बी. बैंक खाता क्रमांक 6599000100021049 खाते में जमा राशि 1,25,443/- (एक लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपया)।

सी. पी. पटेल,

(603)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 06 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1)के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रं 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रं. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कालम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञापित क्रं./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रं.	परिसमापन आदेश क्रं.	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	बजरंग साख सह. संस्था मर्या., कुण्डिया	गोगावा	1748/10-03-2014	1327/31-10-2014	महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(606)

खरगोन, दिनांक 06 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कालम क्रं 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएँ जिनके पंजीयन क्रं. कालम 04 में दर्शित है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कालम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रं./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकास खंड	पंजीयन क्रं.	परिसमापन आदेश क्रं.	परिसमापक का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	मं पार्वती कामगार कारीगर सह. संस्था मर्या., बेहगांव	महेश्वर	1190/03-11-1998	1071/27-08-2016	राजेन्द्र कुमार रोमड़े सहकारी निरीक्षक
2.	वृषि उपज एवं प्रसरण सह. संस्था मर्या., मण्डलेश्वर	महेश्वर	1239/31-12-1999	1071/27-08-2016	राजेन्द्र कुमार रोमड़े सहकारी निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 06-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(607)

खरगोन, दिनांक 06 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)के अंतर्गत]

वैष्णोदेवी महिला बहु. सह. संस्था मर्या., सिनखेडी, तहसील सैगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रं. 1572, दिनांक 21 जुलाई, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्रं./परि/1060/दिनांक 27-08-2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापन द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रं./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

मुकेश जैन,

उप-पंजीयक.

(608)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2019-भाद्र 29, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 मई, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा है. सलगन सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा प्रतिवेदित की गई है.
2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-** ..
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
7. **अन्य असामयक घटना से छति :-** ..
8. **फसल स्थिति :-** ..
9. **सिंचाई:-** जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, विदिशा, भोपाल, बैतूल, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. कैलारस	..				
6. सबलगढ़	..				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..		4. (1) गन्ना-समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) गन्ना सुधरा हुआ.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	3.0				
4. वीरपुर	..				
5. बडोदा	..				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	1.0		((2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	7.6				
5. लहार	3.2				
6. रौन+मिहोना	13.0				
7. गोरमी	..				
8. मौ	..				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. चीनोर	..				
5. घाटीगांव	..				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) गन्ना-अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) गन्ना-समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	..				
4. बढौनी	..				
5. भाण्डेर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	10.0				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) गन्ना-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) गन्ना-समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
12. जैसीनगर	..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) मूंग, उडद-जायद अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकूर्चिलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. जयसिंहनगर	..						
4. बुढ़ार	..						
5. गोहपारू	..						
6. जैतपुर	..						
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..						
4. पुष्पराजगढ़	..						
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. चंदिआ	..						
4. नौरोजाबाद	..						
5. मानपुर	..						
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..						
4. कुसमी	..						
5. चुरहट	..						
6. बहरी	..						
7. रामपुरनैकिन	..						
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	..						
4. माडा	..						
5. सिंगरौली	..						
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..						
4. गरोठ	..						
5. मंदसौर+दालोद	..						
6. श्यामगढ़	..						
7. सीतामऊ	..						
8. धुंधड़क्का	..						
9. संजीत	..						
10. कयामपुर	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4. (1) मूंग-कम	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2) मूंग-समान	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
7. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. गौतमपुरा	..				
5. हातोद	..				
6. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	3.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	1.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) गन्ना-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) गन्ना-समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. त्यांदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) गन्ना-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) गन्ना-समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गन्ना, मूंग-अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..			4. (1) मूंग, उडद जायद अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	..			गन्ना-समान	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	..			(2) ..		
4. गाडरवारा	..					
5. तेंदूखेड़ा	..					
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	..					
4. निवास	..					
5. नारायणगंज	..					
6. घुघरी	..					
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	..					
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	जुताई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..					
4. जूनारदेव	..					
5. सांसर	..					
6. बिछुआ	..					
7. अमरवाड़ा	..					
8. चौरई	..					
9. उमरठ	..					
10. मोहखेड	..					
11. हरई	..					
12. चांद	..					
13. पांहुर्णा	..					
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..			4. (1) गन्ना-अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	..			(2) गन्ना-समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	..					
4. केवलारी	..					
5. लखनादोन	..					
6. छपारा	..					
7. धनोरा	..					
8. घंसोर	..					
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	..					
4. बैहर	..					
5. वारासिवनी	..					
6. कटंगी	..					
7. लालबर्वा	..					
8. तिरोडी	..					
9. परसवाड़ा	..					
10. बिरसा	..					
11. खैरलाँजी	..					

ओ. पी. बाथम,

प्रभारी सहायक आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.